राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3473/2025

नरेश रावत

–अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.07.2025
आदेश की दिनांक : 29.07.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुनील कुमार सिंगोदिया, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को दिनांक 03.07.2025 के आदेश द्वारा सहायक प्रशासनिक अधिकारी से अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत कर राजस्व अपीलीय प्राधिकारी कार्यालय जयपुर में पदस्थापित किया गया था। डीपीसी द्वारा पदोन्नति के पश्चात पदस्थापन हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया आयोजित करना आवश्यक था, परन्तु प्रत्यर्थीगण द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया तथा बिना किसी सहमति के अपीलार्थी को जयपुर में पदस्थापित कर दिया गया। अपीलकर्ता का नाम दिनांक 03.07.2025 के आदेश में क्रम संख्या 3 पर प्रदर्शित है। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी को दिनांक 14.07.2025 को राजस्व अपीलीय प्राधिकारी जयपुर के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त कर दिया गया है। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के नियंत्रणाधीन सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर 28.06.2010 को नियुक्त किया गया था और वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित किया गया था। अब पदोन्नति के कारण उसे जिला नागौर से जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया है। अपीलकर्ता की माँ वृद्ध हैं और हृदय रोगी हैं तथा उनका ऑपरेशन भी 05.07.2025 को हुआ था और अपीलार्थी का पूरा परिवार नागौर में बसा हुआ है। अपीलार्थी नागौर जिले में कार्यरत था और डीपीसी के माध्यम से उसे अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया था।

पदोन्नति के बाद जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर अपीलार्थी को नियुक्ति पत्र दिया गया था, लेकिन प्रतिवादियों ने काउंसलिंग प्रक्रिया अपनाए बिना ही अपीलार्थी को वर्तमान नियुक्ति स्थान से हटा दिया। अतः अपीलार्थी को दूरस्थ स्थान पर नियुक्ति देने के संबंध में आदेश में संशोधन किए जाने की संभावना है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा पारित दिनांक 03.07.2025 के आदेश में संशोधन किया जाकर अपीलार्थी को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के रिक्त पद पर जिला नागौर में बने रहने की अनुमति प्रदान की जावे अथवा वैकल्पिक रूप से प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थी को नियुक्ति देने के उद्देश्य से परामर्श की प्रक्रिया आयोजित करने के निर्देश दिए जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य